THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpagro.org - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/एचआरडी/2022–23/ 3937 दिनांक : 29/11/22

टैली/ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति – आयु सीमा एवं तिथि में संशोधन

निगम द्वारा संविदा आधार पर टैली/ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु दिनांक 11.11.2022 को दैनिक पत्रिका एवं प्रदेश टुडे में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर अपलोड किया गया था, जिसमें आयु सीमा 30 से 35 वर्ष तथा आवेदन की अंतिम तिथि 02.12.2022 निर्धारित की गई थी । इसमें आयु सीमा एवं तिथि में संशोधन करते हुए अनारक्षित के लिए 18 से 43 वर्ष एवं आरक्षित के लिए 18 से 48 वर्ष तथा अंतिम तिथि 09.12.2022 निर्धारित की जाती है । शेष सभी शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी ।

प्रबंध संचालक के आदेशानुसार

29/11/22

प्रबंधक (एचआरडी)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / एचआरडी / 2022–23 / 3937　　　　दिनांक : 29/11/22

टैली / ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

दि एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद के लिये पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता, योग्यता पश्चात् अनुभव	आयु सीमा अधिकतम	समेकित मासिक वेतन
1.	टैली / ई. आर.पी. लेखापाल (संविदा)	13	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय (एम. कॉम.) डिग्री के साथ स्नातकोत्तर । डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय / लिमिटेड कम्पनी / उपक्रम / संस्थाओं में टैली ई.आर.पी. लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 1.7.2022 को अनारक्षित के लिए 18 से 43 वर्ष एवं आरक्षित के लिए 18 से 48 वर्ष।	रू. 21,000 प्रतिमाह (सीटीसी)

टैली / ई.आर.पी. लेखापाल (संविदा) के रिक्त पदों अनुसार आरक्षण रोस्टर :–

क.	अनारक्षित कुल पद संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग कुल पद संख्या	अनुसूचित जनजाति कुल पद संख्या	अनुसूचित जाति कुल पद संख्या	दिव्यांग जन कुल पद संख्या	भूतपूर्व सैनिक कुल पद संख्या	महा योग
	कुल 01 पद	कुल 04 पद (महिलाओ के लिए 01 पद आरक्षित)	कुल 03 पद (महिलाओं के लिए 01 पद आरक्षित)	कुल 03 पद (महिलाओं के लिए 01 पद आरक्षित)	कुल 01 पद	कुल 01 पद	13

आवेदक पूर्ण बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रारूप, सेवा शर्तों का विवरण एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध है। नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा। आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2022 तक सायंकाल 5.00 बजे तक Online निगम की Email Id - mpagrohobpl@gmail.com अथवा Offline निगम मुख्यालय में स्वीकार किये जायेंगे । समय–सीमा के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों की पूर्ति का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को रहेगा।

प्रबंधक (एचआरडी)
29/11/22

4. <u>अन्य शर्तें</u>

4.1 दिनांक 01.07.2022 को आवेदक की अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए 18 से 43 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 48 (अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) रहेगी।

4.2 साक्षात्कार के लिए न्यूनतम 65 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा ।

4.3 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के परीक्षण पश्चात् साक्षात्कार लिया जावेगा। योग्यता (शैक्षणिक एवं अनुभव) को 85 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु 15 प्रतिशत अंक निर्धारित रहेंगे तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

4.4 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

4.5 नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं आकस्मिक होगी।

5. चयन पश्चात् अभ्यर्थी को राशि रू. 1000/— का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।

6. अभ्यर्थियों को अनुबंध अवधि में अनुबंध की सभी शर्तों, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं निगम के स्थापना संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. निगम का प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय है, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिलो में प्रवास पर जाना पड़ सकता है, इसके लिये साधारण दर नियमानुसार रू. 125/— प्रतिदिन की दर से डी.ए. (प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिए विशेष दर रू. 185/—) होगी । प्रदेश के अन्दर जिलों में ठहरने के लिए रू. 625/— प्रदेश के चार बड़े नगर यथा (इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं प्रदेश के बाहर) ठहरने के लिए रू 925/— प्रतिदिन अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जावेगी। यात्रा के लिए ट्रेन का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का आने जाने का किराया देय होगा। बस से यात्रा करने पर वातानुकूलित डीलक्स बस/सामान्य बस अथवा समकक्ष का किराया देय होगा।

8 बिना सूचना एवं स्वीकृति के लगातार 3 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा व सबंधित को निगम के कार्य से पृथक माना जाएगा।

9. लगातार 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस के अवकाश (रविवार) की पात्रता होगी। नियुक्ति पश्चात छः माह की अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रतिवर्ष 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसके लिये पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

10 अनुबंधित अवधि में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। निर्देशानुसार सेवायें प्रदान नहीं करने पर अथवा सेवाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पूर्व 07 दिवस की सूचना पर यह अनुबंध निरस्त कर सकेगा । अनुबंध की निरस्ती बाबत संबंधित कर्मचारी को किसी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होगा और न ही इस अनुबंध की समाप्ति/निरस्ती बाबत किसी प्रकार के दावा करने का अधिकार होगा।

11. अनुबंधित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर निगम की अनुमति से अपनी सेवाएं त्यागकर /छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।